जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 19 संख्याः 159 प्रभात जालोर, शनिवार 14 सितम्बर, 2024 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

निवेश आकर्षित करने हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल की जापान यात्रा पूरी

डाइकिन और एन.आई.डी.ई.सी. कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने राजस्थान के अफसरों से गंभीर चर्चा की

- "पधारो म्हारे देस", मुख्यमंत्री भजनलाल ने जापानी निवेशकों को राजस्थान आने का निमंत्रण दिया।
- ओसाका में इन्वैस्टर्स मीट के बाद जापान में रह रहे राजस्थानी समुदाय के लोगों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की।

ओसाका, जापान, 13 सितंबर। अपनी तीन दिवसीय जापान यात्रा के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ओसाका में आयोजित इन्वैस्टर्स मीट में भाग लिया और जापानी निवेशकों से राजस्थान में अपने मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करने और नए उद्यम स्थापित करने का आग्रह किया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने दो प्रमुख जापानी कंपनियों, डाइकिन और एनआईडीईसी कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की। इन कंपनियों के, राज्य के नीमराणा जापानी निवेश ज़ोन में पहले से ही उपक्रम हैं।

ओसाका निवेशकों की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं जापानी निवेशक समुदाय से राजस्थान में अपना विश्वास बनाए रखने और भारत और जापान के बीच मौजूदा साझेदारी को और मजबूत बनाने का आग्रह करता हूं।" ओसाका यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के नीमराणा जापानी निवेश क्षेत्र में अवस्थित एक प्रमुख कंपनी डाइकिन इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। ओसाका में डाइकिन इंडस्ट्रीज का मुख्य कार्यालय है, जहां कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अपने बारे में बताया, खासतौर पर राजस्थान में मौजूद उपक्रम के बारे में और राज्य में कंपनी की विस्तार योजनाओं पर चर्चा की। इसके अलावा, मुख्यमंत्री कंपनी के टैक्निकल इनोवेशन सैंटर को देखने भी गए।

ओसाका में इन्वैस्टर्स मीट के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने एक अन्य जापानी कंपनी एनआईडीईसी कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और प्रदेश में सरकार द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण व्यापार-अनुकूल परिवर्तनों के बारे में जानकारी दी। एनआईडीईसी कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने राज्य द्वारा व्यावसायिक माहौल को अच्छा बनाने के लिए उठाए जा रहे प्रभावशाली कदमों की सराहना की और आश्वासन दिया कि कंपनी की दीर्घकालिक योजनाओं में राजस्थान भी शामिल है।

इसके अलावा, ओसाका में अनिवासी राजस्थानी समुदाय (एनआरआर) के लोगों ने भी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तीन दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन मु. मंत्री भजनलाल शर्मा ने ओसाका (जापान) में आयोजित इन्वैस्टर्स मीट को संबोधित किया। मु. मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमण्डल ने जापान की दिग्गज कंपनी डायकिन और एन.आई.डी.ई.सी. के साथ भी निवेश पर चर्चा की।

2017 में ई.आर.सी.पी. प्रोजैक्ट की लागत 37,000 करोड़ रू. आंकी गयी थी

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यह लागत स्वीकार कर ली थी क्योंकि जिस प्रोजैक्ट रिपोर्ट के आधार पर यह लागत निकाली गई थी, उसे केन्द्रीय सरकार की सिंचाई क्षेत्र की विशेषज्ञ एजेंसी "वैपकोस" ने तैयार किया था

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 सितम्बर। ई.आर.सी.पी. टैंडर की परतों के बीच विभिन्न रोचक और रहस्यात्मक पहलू छुपे हुए हैं, जिन्हें समझना आम आदमी के लिए असंभव हैं, और इसी तरह अशोक गहलोत ने अपना खेल खेला है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह सुनिश्चित करने की जल्दी में थे कि ई.आर.सी.पी. टैंडर न केवल एक कार्टल का हिस्सा हो, बल्कि, यह भी कि इसका काम फेवरेट कपंनी मेघा इंजिनियरिंग को दिया जाए।

सन् 2017 में ई.आर.सी.पी. की लागत लगभग 37,000 करोड़ रु. थी, जब वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भारत सरकार की स्पेशलाइज्ड कम्पनी, वैपकोस (डब्ल्यु.ए.पी.सी.ओ.एस.) ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उसके बाद अप्रॉक्सिमेट लागत का एक और राउण्ड आरंभ हुआ।

- पर, गहलोत सरकार के आते ही प्रोजैक्ट को तीन हिस्सों में बांटा गया।
- तीनों पैकेज कितने-कितने बड़े होंगे और कब काम शुरु करेंगे यह बड़ी होशियारी से तय किया गया, जिससे सरकार की चहेती कम्पनी मेघा को ही काम मिले।
- लगभग इसी समय जल-जीवन मिशन के टैण्डर भी जारी किये गये और वे भारी विवाद में फंस गये और वर्तमान में इसकी जांच चल रही है।
- बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ, जैसे एल एण्ड टी, रामकी इन्फ्रा देखती रह गईं और येन केन प्रकरेण, केवल मेघा को ही टैण्डर मिला।
- इतनी बड़ी साजिश, किसने रची, शक की सुई पूर्व मु.मंत्री गहलोत पर ही जाती है।

अशोक गहलोत यह दिखाना चाहते थे कि उन्होंने काम शुरू कर दिया था, चाहे छोटे हिस्से में और टुकड़ों-टुकड़ों में ही सही, इसीलिए एक पैकेज बनाया गया। जिस तरह से वित्तीय मुद्दों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दो वीडियो की अजीबो-गरीब कहानी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 सितम्बर। आज एक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस वीडियो में, "अन्नपूर्णा चेन ऑफ रेस्टोरेन्ट्स" के मालिक को कथित रूप से वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण से "माफी माँगते हुए" दिखाया गया है क्योंकि उन्होंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) को लेकर चिन्ता जताई थी।

भाजपा की तमिलनाडु इकाई द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में, अन्नपूर्णा के मालिक श्रीनिवासन, सीतारमण से बात करते हुए तथा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए देखे जा सकते हैं। वे कह रहे हैं कि वे किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं।

- पहले वीडियो में अन्नपूर्णा रेस्टोरेन्ट श्रृंखला के मालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष जी.एस.टी. टैक्स की विडम्बना बखान कर रहे हैं।
- दूसरी वीडियो में वे निर्मला सीतारमण के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर माफी मांगते दिख रहे हैं।
- चर्चा है कि रेस्टोरेन्ट श्रृंखला के मालिक को इतना डराया-धमकाया गया कि उसे हाथ जोड़कर वित्त मंत्री से माफी मांगनी पड़ी और किसी शरारती तत्व ने दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर भी रिलीज़ कर दिये और मामला हास्यपूर्ण हो गया तथा राहुल गांधी, डी.एम.के. सांसद कनीमोई भी इस विवाद में कूदे और वित्त मंत्री को संबोधित करके कहा, आपको तमिलनाडू का इस प्रकार तिरस्कार नहीं कराना चाहिये।

श्रीनिवासन ने कोयम्बटूर में आयोजित एक समारोह में जी.एस.टी. का मुद्दा उठाया था, जिसमें सीतारमण भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा था, "समस्या यह है कि जी.एस.टी. हर चीज पर अलग-अलग तरह लागू होती है। उदाहरण के लिए, 'बन' पर कोई जी.एस.टी. नहीं है। लेकिन अगर आप इस पर क्रीम लगा देते हैं तो जी.एस.टी. 18 प्रतिशत हो जाती है।" उन्होंने कहा कि इस कारण, ग्राहक, खास तौर से परिवार, बन और क्रीम अलग-अलग माँगते हैं तथा कहते हैं कि वे बन पर क्रीम अपने आप लगा लेंगे, क्योंकि ऐसा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपी संजय बडाया को जमानत नहीं

जयपुर, 13 सितंबर। ई.डी. मामलों की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी संजय बड़ाया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही

- अदालत ने कहा कि आरोपी पर पी.एच.ई.डी. के टैण्डर्स में भ्रष्टाचार करने व ठेकेदारों के अपराधिक कार्यों में लिप्त होने का आरोप है, उसे जमानत नहीं दी जा सकती।

अदालत ने आरोपी की ओर से पेश जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि आरोपी पर पी.एच.ई.डी. के टेंडर्स में हुए भ्रष्टाचार और ठेकेदारों की ओर से किए गए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आखिरकार केजरीवाल को जमानत मिल ही गई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को सशर्त जमानत दी कि वे सी.एम. ऑफिस और सचिवालय नहीं जाएगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 सितम्बर। आखिरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को "पिंजरे में बंद तोते" की छवि से मुक्ति मिल गई। जहाँ न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा उज्जल भूयान उन्हें जमानत देने के निर्णय पर एकमत थे, वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दोनों के बीच मतभेद था।

अब रद्द की जा चुकी "दिल्ली एक्साइज़ नीति" के सिलसिले में सैन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (सी.बी.आई.) द्वारा दायर केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार, 13 सितम्बर 2024 को जमानत दे दी। आप प्रमुख अब जेल से बाहर आ सकेंगे, क्योंकि एन्फोर्समैंट डायरेक्टोरेट (ई.डी.) द्वारा दायर मनी लॉन्डरिंग केस में उन्हें पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है।

- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वे केस से संबंधित किसी भी पक्ष पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे।
- केजरीवाल की पैरवी करते हुए अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल संवैधानिक पद पर हैं, उनके उड़न छू होने का खतरा नहीं है और वे सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि सारे दस्तावेज सी.बी.आई. के पास हैं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री लम्बे समय से जेल में हैं तथा यह स्थिति उनकी रिहाई को अन्यायपूर्ण तरीके से रोकने के समान है। लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी की वैधता का समर्थन करते हुये कहा कि प्रक्रिया संबंधी कोई अनियमितता नहीं हुई थी। इसके विपरीत, न्यायमूर्ति उज्जल भूयान ने केजरीवाल की सी.बी.आई. द्वारा की गई गिरफ्तारी को "अन्यायपूर्ण" बताया।

लेकिन शीर्ष अदालत ने, जमानत में लगाई गई शर्तों के अनुसार, केजरीवाल के मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक लगा दी है। उन्हें यह आदेश भी दिया गया है कि वे इस केस की मैरिट्स पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे।

सी.बी.आई. को "देश की मुख्य जाँच एजेंसी" बताते हुये, न्यायमूर्ति भूयान ने कहा कि एजेंसी पूरी तरह सच्ची एवं निष्पक्ष नज़र आनी चाहिये। उन्होंने कहा, "विशेष रूप से लोकतंत्र में, हर प्रयास ऐसा दिखाई देना चाहिये कि गिरफ्तारी स्वैच्छाचारिता एवं निरंकुश तरीके से नहीं की गई है। सी.बी.आई. को इस तरह काम करना चाहिये कि यह सोच देखने-सुनने में नहीं आये कि यह "पिंजरे का तोता" है। वस्तुतः यह एक "आज़ाद तोते" के रूप में नज़र आनी चाहिये।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल संवैधानिक पद पर हैं, उनके उड़न छू हो जाने का खतरा नहीं है और ना ही सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा है क्योंकि सारे सबूत सी.बी.आई. के कब्जे में हैं।

आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को ई.डी. ने दिल्ली की आबकारी नीति, जो अब रद्द हो चुकी है, से संबंधित मामले में मनी लॉंडरिंग के एक केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 26 जून को सी.बी.आई. ने उन्हें किसी कथित घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मनी लॉंडरिंग केस में 12 जुलाई को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी ने पहनी गांधी टोपी

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अलग कर लिया है। हाल ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाय. चंद्रचूड के घर गणेश आरती में शामिल होते समय प्रधानमंत्री मोदी ने संघ की काली टोपी छोड़कर गांधी टोपी पहनी थी।

चीफ जस्टिस के बगल में मोदी आरती की थाली लिए हुए देखे गए।

केन्द्र सरकार ने अब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (वार्ता)। गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने की सरकार की मुहिम के तहत गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम ' विजयपुरम' करने का निर्णय लिया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा , ' देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर आज गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम ' विजयपुरम' करने का निर्णय लिया है। ' विजयपुरम' नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आपके खिलाफ कोई साजिश रचेगा, तो मैं आपकी सुरक्षा के लिये खड़ा रहूँगा- पायलट

विश्नोई समाज ने खेजड़ली मेले में सचिन पायलट का भावपूर्ण परम्परागत स्वागत किया

- पायलट ने कहा, "पर्यावरण, जंगल, जानवर के लिये अपनी जान हथेली पर रखकर केवल विश्नोई समाज चला है।"
- उन्होंने कहा, "समय के साथ इंसान को बदलना पड़ा है, पर हमारे अंदर के कुछ संस्कार हमें नई पीढ़ी को देने हैं।"

जोधपुर, 13 सितम्बर (कासं)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट शुक्रवार को खेजड़ली में आयोजित विश्नोई समाज के महाकुंभ में पहुंचे। यहां पायलट का विश्नोई समाज ने परम्परागत तरीके से स्वागत किया।

पायलट ने यहां धर्मसभा को संबोधित करते विश्नोई समाज के लोगों से कहा कि समाज के विरूद्ध और हित में षड्यंत्र और साजिश भी रची जाती हैं, उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा- मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम सभी पढ़ाई, शिक्षा और संस्कारों पर ध्यान दें। नई पीढ़ी हमारी बातों को नहीं सुनेगी, हमारे कर्मों को देखेगी। हम कहें कुछ, और करें कुछ और..इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें अपनी करनी और जीवनशैली से नौजवानों की पीढ़ी को प्रभावित करना है।

हजारों की भीड़ को संबोधित करते पायलट ने कहा कि जब समय बदलता है तो इंसान को बदलना पड़ता है, लेकिन समाज की कुछ ऐसी यादें और कुछ ऐसे संस्कार हमारे अंदर हैं, जो नई पीढ़ी को देने हैं। हमारी नई पीढ़ी को शिक्षा स्कूलों और कॉलेज में बहुत मिलती है, आजकल मोबाइल फोन आ गया। और भी बहुत सारी जानकारी भी मिल जाएगी, लेकिन जो त्याग, तपस्या, समर्पण, बलिदान समाज का रहा, उस पर हम सभी को फख्र रहता है।

पायलट ने कहा कि अपने घरवालों, अपनी मातृभूमि के लिए तो बहुत से लोग शहादत देने को तैयार रहते हैं, लेकिन पर्यावरण, जंगल, जानवरों के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर कोई चला है तो वो विश्नोई समाज ही है।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि समाज के विरूद्ध और हित में षड्यंत्र और साजिश भी रची जाती हैं, उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। पायलट ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कुर्बानी देने वाले इस काश्तकार और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जोधपुर में खेजड़ली मेले में शामिल हुये कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का विश्नोई समाज ने अपने परम्परागत अंदाज़ में स्वागत किया। पायलट ने मेले में सम्मिलित हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुये कहा, हमें समाज और पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, नई पीढ़ी को अपने सिद्धांतों और उसूलों की शिक्षा देनी होगी। उन्होंने कहा कि अपने घरवालों और मातृभूमि के लिए हर कोई शहादत देने के लिए तैयार रहता है लेकिन पर्यावरण, जंगल-जानवर के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर कोई चला है तो वह विश्नोई समाज ही है।

चारागाह भूमि पर अतिक्रमण, तहसीलदार को हाजिर होने के आदेश

जयपुर, 13 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा जिले की ग्राम पंचायत लोटवाडा की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े एक मामले में बैजूपाडा तहसीलदार को रिपोर्ट पेश नहीं करने पर आगामी सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने को कहा है। चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने

- राजस्थान हाई कोर्ट ने दौसा जिले के ग्राम पंचायत लोटवाडा की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट पेश नहीं करने पर तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने को कहा है।

यह आदेश कैलाश चंद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा है कि भले ही केस से जुड़े सरकारी वकील बदल गए हों, लेकिन अदालत को आदेश की पालना से मतलब है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)